कार्यकारी सारांश

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 (अधिनियम), भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के नियोजन तथा सेवा–शर्तें, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों को विनियमित करता है। नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाने एवं संग्रह करने तथा उसका उपयोग पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुपालन में सितंबर 2008 में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन किया गया था।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों की शासी अधिनियमों के साथ सुसंगति, प्रतिष्ठानों और हितग्राहियों के पंजीयन के लिए तंत्र की प्रभावशीलता, उपकर के संग्रहण और हस्तांतरण में दक्षता, श्रम उपकर की चोरी को रोकने के लिए निरीक्षण की प्रणाली और नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन तथा मंडल द्वारा कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन पर निधि का प्रबंधन एवं उपयोग कुशल, प्रभावी और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप था, का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

प्रतिष्ठानों और हितग्राहियों के पंजीयन की प्रणाली की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मंडल के पास प्रतिष्ठानों और हितग्राहियों की पहचान और पंजीयन करने हेतु मजबूत तंत्र नहीं है। संबंधित विभाग/स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण/भवन अनुज्ञा के लिए 29,243 प्रतिष्ठानों को कार्य आदेश जारी किए गए थे जिनमें से केवल 43 प्रतिष्ठान (0.15 प्रतिशत) ही मंडल के साथ पंजीकृत पाये गये। प्रतिष्ठानों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में देरी के मामले पाये गये। सक्रिय पंजीयन वाले श्रमिकों की कुल संख्या वर्ष 2019–20 में 15.37 लाख से घटकर वर्ष 2021–22 में 12.16 लाख हो गई। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, केवल 1.38 लाख पंजीयन नवीनीकृत किए गए जबकि 6.12 लाख पंजीयन नवीनीकरण न होने या अन्य कारणों से कालातीत हो गए।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि का उपयोग कुल उपलब्ध धनराशि के 39 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत रह गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर मंडल का व्यय ₹ 192 करोड़ से घटकर ₹ 88 करोड़ हो गया जबकि प्रशासनिक व्यय ₹ 18 करोड़ से बढ़कर ₹ 24 करोड़ हो गया। इसके परिणामस्वरूप भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि में ₹ 631.58 करोड़ (मार्च 2022) की धनराशि एकत्रित हो गई एवं जिन उद्देश्यों के लिए इसे बनाया गया था, उनके लिए निधि का उपयोग नहीं हो सका। लेखापरीक्षा ने पाया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि को केवल भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के कल्याण के विपरीत अन्य गतिविधियों/उद्देश्यों पर व्यय किया गया था एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसकी भरपाई किया जाना आवश्यक था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम निर्धारित करता है कि मंडल के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक सहित प्रशासनिक व्यय मंडल के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई जो कि वर्ष 2017–18 में 8.48 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में कुल व्यय का 25.62 प्रतिशत हो गया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं की और 233 की स्वीकृत पदों के विरुद्ध 435 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य पर रखा। इसके अतिरिक्त, सरकारी विभागों और स्थानीय सरकार संस्थानों में संग्रहण/निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपकर का निर्धारण न करने के कारण ₹ 2.82 करोड़ के उपकर की कटौती नहीं की गई और

₹ 3.38 करोड़ के उपकर का हस्तांतरण नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग एवं रायपुर नगर निगम द्वारा मंडल को ₹ 8.09 करोड़ के उपकर के हस्तांतरण में एक माह से लेकर 120 माह तक की देरी हुई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में कल्याणकारी योजनाओं के अकुशल क्रियान्वयन के मामले सामने आये जैसे अपात्र हितग्राहियों को लाभ का वितरण, योजना के लाभ के लिए पात्र हितग्राहियों के आवेदनों को निरस्त करना, हितग्राहियों को सहायता के वितरण में विलम्ब। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों की मृत्यु के बाद पंजीकरण और बीमा किए जाने, दूरस्थ क्षेत्रों में पंजीकरण शिविरों का आयोजन न करने, हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने में देरी के मामले भी सामने आये।

राज्य स्तर पर अपर्याप्त निगरानी के कारण राज्य सलाहकार समिति द्वारा अपनी पिछली बैठक (दिसंबर 2017) के दौरान की गई अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया था। दिसंबर 2017 से राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ था। मंडल की बैठक आयोजित करने में कमी रह गयी थी। निर्माण कार्य/स्थल की निगरानी के लिए निरीक्षण और वैकल्पिक तंत्र की कमी के कारण श्रम विभाग नियोक्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रहा।

अनुशंसाएं

- राज्य सरकार को मॉडल कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मातृत्व लाभ, पारगमन आवास और मोबाइल क्रेच के लिए योजनाएं बनानी तथा लागू करनी चाहिए।
- श्रम विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को उपकर कटौती/संग्रह करने वाले प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्माण गतिविधि में संलग्न प्रत्येक प्रतिष्ठान एवं श्रमिक को पंजीकृत करने हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/नवीनीकरण की संख्या को बढ़ाने के लिए श्रम विभाग को चावड़ी एवं निर्माण स्थल पर शिविर आयोजित करने चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, श्रम विभाग को तंत्र में पारदर्शिता के लिए हितग्राहियों के दावों/पंजीयन के लिए आवेदन की जांच हेतु एक समान प्रणाली तैयार करनी चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को उपकर के समय पर संग्रहण और हस्तांतरण के लिए उपकर कटौती/संग्रहण प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए क्योंकि इसकी देरी से मण्डल को ब्याज की हानि होती है।
- उपकर का संग्रह न करने, संग्रह में देरी और हस्तांतरण न करने के लिए जुर्माना लगाने का उपयुक्त प्रावधान मौजूदा नियमों में किया जाना चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ/सहायता पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार को निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और मृत्यु एवं विकलांगता के मामलों में मण्डल को स्वतः पहल करनी चाहिए

और आवेदन की आवश्यकता के बिना उचित सत्यापन के बाद लाभ देना चाहिए।

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को दूरदराज के क्षेत्रों में भी श्रमिकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों के मामले में जिला श्रम प्राधिकारियों (श्रम उप निरीक्षक/निरीक्षक, श्रम अधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त) की जिम्मेदारियां निर्धारित करनी चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा सकता है और विभाग को पिछली राज्य सलाहकार समिति की अनुशंसाओं को लागू करने का निर्देश दिया जा सकता है।
- मण्डल को स्वीकृत संख्या के विरुद्ध नियमित कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए तथा आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाना चाहिए।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और श्रम विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए कि नियोक्ताओं द्वारा निर्माण स्थलों पर निर्धारित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है।
- मौजूदा प्रावधानों के बेहतर और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक अंकेक्षण को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।